

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक—08.06.2026 को VC के माध्यम से पूर्णिया जिला के राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक—08.06.2026 को पूर्णिया जिला के राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षात्मक बैठक V.C के माध्यम से आयोजित की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारीगण के द्वारा भाग लिया गया।

आयोजित समीक्षात्मक बैठक में जिला के माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद एवं पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए निर्धारित समय के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं जिला के ऑफिसों की समीक्षा की गयी।

समीक्षा में मूल रूप से (क) ऑनलाइन दाखिल-खारिज, (ख) आवेदनों का डिफेक्ट चेक, (ग.) वादों का निष्पादन (घ.) ऑनलाईन परिमार्जन (परिमार्जन प्लस) (ड.) ई-मापी (च) अभियान बसेरा (छ.) सरकारी भूमि का सत्यापन (ज.) राजस्व महा-अभियान (झ) विभागीय जन शिकायत पोर्टल (ञ) सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की स्थिति (ट) राजस्व न्यायालय में जिलों की स्थिति एवं ओवरऑल रैंकिंग से पदाधिकारियों को अवगत कराया गया।

बैठक में दिये गये निदेश -

(i) डिफेक्ट चेक के मामलों में यह पाया जा रहा है कि अंचल अधिकारी एवं कर्मचारियों के लॉग-इन पर अत्यधिक मामलें लंबित है, इनके निष्पादन के उपरांत ही दाखिल-खारिज की कार्रवाई की जा सकती है। पूर्णिया जिले में डिफेक्ट चेक के 133240 आवेदन में 6050 मामलें लंबित है, जिनमें अधिक मामलें पूर्णिया पूर्व, कृत्यानंद नगर एवं कसबा अंचलों के अन्तर्गत है। सभी संबंधित अंचल अधिकारी एक सप्ताह के अन्दर कार्य योजना बनाकर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करेंगे। भवानीपुर अंचलाधिकारी के पास 120 दिनों से अधिक लंबित मामलों 129 पाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(ii) दाखिल-खारिज के अन्तर्गत जिन अंचलों में 120 दिनों से अधिक लंबित मामलें है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाय। अपर समाहर्ता, पूर्णिया द्वारा कृत्यानंद नगर, धमदाहा एवं बायसी अंचल के वैसे मामलें जिन्हें अस्वीकृत किया गया है, के 10 मामलों का रैन्डम जाँच कर प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) परिमार्जन के अंतर्गत 120 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या पूर्णिया जिला में 6137 है, जो अधिक है। वैसे तीन अंचलों जिनमें 120 दिनों से लंबित मामलों की संख्या अधिक है, को संबंधित अपर समाहर्ता द्वारा एक सप्ताह के अंदर लंबित मामलों की जाँच करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। राजस्व से संबंधित कोई भी रेकर्ड/अभिलेख अंचल अभिलेखागार एवं जिला अभिलेखागार में ही रखना है।

(iv) ई-मापी से संबंधित लंबित मामलों की संख्या पूर्णिया जिला में 2773 है। अपर समाहर्ता, पूर्णिया जिला में पदस्थापित अमीनों की संख्या एवं मापी के लंबित मामलों की समीक्षा के पश्चात् आवश्यकतानुसार अमीनों को प्रतिनियुक्त/पदस्थापन करते हुए लंबित मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। ई-मापी से संबंधित सभी कार्यों को ऑनलाइन मोड में ही करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में ई-मापी का कार्य ऑफलाइन नहीं की जानी है।

(v) अभियान बसेरा में आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने के मामलों विभिन्न अंचलों में अधिक है। जिलों के अपर समाहर्ता वैसे प्रथम तीन अंचल जिनमें विभिन्न कारणों से अयोग्य किये जाने वाले आवेदनों की संख्या अधिक है, की जाँच अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गलत ढंग से आवेदनों को अयोग्य करने वाले कर्मियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे।

(vi) सरकारी भूमि की सत्यापन का कार्य जिले के कतिपय अंचलों में अपेक्षाकृत कम पाया गया। उक्त के क्रम में जिलों के वैसे अंचल जिनमें सत्यापन का प्रतिशत कम है, को चिन्हित करते हुए संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता सतत पर्यवेक्षण के साथ इसका निष्पादन करायेंगे।

(vii) राजस्व महा अभियान के दौरान जिलों में प्राप्त आवेदनों में से 99.21 प्रतिशत आवेदनों को स्कैन किया गया है, तथा इसे अप्लाई किये जाने का प्रतिशत 6.48 है, जो अत्यधिक कम है। सभी अंचल अधिकारी आवेदनों को अपलोड करते हुए शीघ्र निष्पादित करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) सहयोग पोर्टल पर लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन की जाय। प्राप्त आवेदन अगर अस्वीकृत किया जाता है तो वैसी स्थिति में अस्वीकृति का कारण औचित्यपूर्ण होनी चाहिए।

(ix) Farmer Registration कार्य में संबंधित जिलों का प्रतिशत बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु 2017 के पश्चात् जितने भी जमाबंदी कायम हुए हैं, में 50 प्रतिशत रैयतों/कृषकों को इस श्रेणी में लाये जाने हेतु कार्रवाई की जाय।

(x) RCMS के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता के न्यायालय में संचालित विभिन्न लंबित वादों को त्वरित गति से निष्पादित करने हेतु सुनवाई की तारीख बढ़ाया जाय एवं आर्डर पर रखे गये वादों को अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।

अंत में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा उपस्थित सभी माननीय विधायकों/विधान पार्षदों एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। माननीय विभागीय मंत्री द्वारा बैठक में भाग लेने वाले माननीय विधायकों/विधान पार्षदों की समस्याओं एवं सुझाव को गंभीरतापूर्वक सुना गया एवं आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा उठाये गये समस्याओं एवं बिंदुओं के निराकरण के संबंध में त्वरित गति से कार्रवाई की जायेगी।

माननीय विभागीय-मंत्री द्वारा दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, अभियान बसेरा, सरकारी भूमि का सत्यापन, फार्मर रजिस्ट्रेशन से संबंधित विषयों को अगले 15 दिनों में कार्य प्रणाली में सुधार लाते हुए लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन का निदेश सभी संबंधितों को दिया गया और उनके द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को बताया गया कि लंबित मामलों के क्रियान्वयन की समीक्षा पुनः 15 दिनों के बाद की जायेगी।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

(जय सिंह)

सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

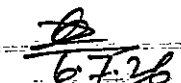
बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापंक-10/सम0 (अंचल अधिकारी बैठक)-41/2025 अंश-V-796 (10)/रा0, पटना-15, दिनांक 07.07.

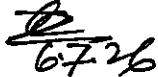
E-mail

प्रतिलिपि-प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया/समाहर्ता, पूर्णिया/अपर समाहर्ता, पूर्णिया/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्णिया/सभी अंचलाधिकारी, पूर्णिया, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(देवेश-कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक-10/सम0 (अंचल अधिकारी बैठक)-41/2025 अंश-V — 796 (10)/रा0, पटना-15, दिनांक 07/07/26

प्रतिलिपि-निदेशक, तीनों निदेशालय/विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


6.7.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक-10/सम0 (अंचल अधिकारी बैठक)-41/2025 अंश-V — 796 (10)/रा0, पटना-15, दिनांक 07/07/26

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आशुलिपिक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


6.7.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।